HAPUR POLICE

OPERATION CONVICTION

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए दहेज हत्या के मामले में हत्यारोपी ससुर को 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए आज दिनांक 31.08.2026 को मा0 न्यायालय के द्वारा "दहेज हत्या" के अभियोग में हत्यारोपी ससुर को दंडित कराया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

- दिनांक 08.12.2014 को थाना हापुड़ नगर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त नन्द किशोर पुत्र केहर भारती निवासी रेलवे कॉलोनी थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ द्वारा दहेज हत्या कारित करने की दुस्साहसिक घटना की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हापुड़ नगर पर मु0अ0सं0 756/2014 धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 19.05.2015 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
- आज दिनांक 31.08.2026 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम हापुड़ द्वारा 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
- अभियोजन विभाग से श्रीमती करूणा नागर (शासकीय अधिवक्ता) व विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर श्री विशाल यादव एवं पैरोकार म0है0का0 मधु व कोर्ट मोहर्रिर का0 दुष्यन्त राठी का विशेष योगदान रहा